

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-1057/1994 विरुद्ध आदेश
 29-9-1994 - पारित - द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 187/1992-93 निगरानी महिला श्यामकुँवर पति नथनसिंह ग्राम रामगढ़, तहसील ईसागढ़ तत्कालिन जिला गुजरात वर्तमान जिला अशोकनगर ---आवेदक विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०बाजपेयी)

(अनावेदक के पेनल लायर श्री बी०एन०त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक ३-५-२०१६ को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 187/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 के विरुद्ध यह निगरानी म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि नाथव तहसीलदार ईसागढ़ वे प्रकरण क्रमांक 84/अ-19/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 28-11-1990 से ग्राम रामगढ़ की भूमि सर्वे नंबर 109 रक्का 24.081 हैक्टर में से रुप्ता 1.200 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त

M

MSL

भूमि अंकित किया गया है) आवेदक के हित में म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की गई। अपर कलेकटर अशोकनगर द्वाया नायव तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने के कारण आवेदक के विरुद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 340/1991-92 पंजीबद्व किया तथा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें होना अंकित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया। अपर कलेकटर अशोकनगर ने आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश 25-1-1993 पारित किया तथा नायव तहसीलदार ईसागढ़ का आदेश दिनांक 28-11-1990 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ज्वालियर संभाग, ज्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 187/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की भूमि पर संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस

(M)

152

अधिनियम में निगरानी का प्रावधान नहीं है इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाय। अनावेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को नियमानुसार होना बताया।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं कि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अवलोकन से स्थिति यह है कि :-

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा-50 - म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा 5(7) एवं 2 (c) के अंतर्गत आदेश पारित किया, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण अधिकारिता प्रयुक्त की जा सकती है।

(अयोध्या प्रसाद विरुद्ध रामरसिंहलालन, 1998 रा०नि० 229 से अनुसरित)

अतएव उक्त सम्बन्ध में आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने यह भी बताया कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2-10-1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर पात्रता की जौच करके भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र पाये जाने पर एवं अपर कलेक्टर अशोकनगर से सुनवाई का समुचित अवसर देकर भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है।

म
—

म
—

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि जब अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 84/अ-19/1989-90 का परीक्षण किया है तब पाया है कि आवेदक के परिजनों के नाम व्यवस्थापन के पूर्व से ही ग्राम में 8.584 हैक्टर भूमि है अर्थात् वह भूमिहीन नहीं है। इसके अतिरिक्त इसी परिवार की चार महिलाओं अर्थात् देवरानी/जेठनियों को चार प्रकरणों में भूमि व्यवस्थापित करने की अनियमितताएँ की गई हैं। म०प्र०कृषि प्रयोजन के लिय उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा 2 (क) इस प्रकार है

“कृषि श्रमिक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो कोई भूमि धारण न करता हो और उसकी आजीविका का मुख्य साधन भूमि पर शास्त्रिक श्रम करना हो और जो ऐसे कुटुम्ब का सदस्य न हो, जिसका कोई भी अन्य सदस्य कोई भूमि धारण न करता हो।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के परिजनों नाम व्यवस्थापन के पूर्व से ही ग्राम में 8.584 हैक्टर भूमि है अर्थात् वह भूमिहीन नहीं है एवं उसे अधिनियम के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन में पाने की पात्रता न होते हुये भी नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-11-90 से अपात्र के हित में नियमों के विपरीत जाकर भूमि का व्यवस्थापन किया था, जिसे अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 25-1-93 से निरस्त करने में किसी प्रकार की श्रृंगार नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 187/1992-93 निगरानी

(M)

29/11

में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती हैं एवं अपर आयुक्त, ज्वालियर संभाग, ज्वालियर व्हारा प्रकरण क्रमांक 187/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।


(एम०के०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ज्वालियर